बिहार सरकार
कृषि विभाग

किसान भाइयों एवं बहनों के लिए आवश्यक सूचना

कृषि इनपुट अनुदान योजना- 2021 के तहत आवेदन का अवसर

वर्ष 2021 के खरीफ मौसम में बाढ़/अतिवृष्टि के कारण प्रतिवेदित 30 जिलों के 265 प्रखंडों के 3229 पंचायतों में क्षतिग्रस्त फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ किसानों के बैंक खाते में

- 30 जिलों के 265 प्रभावित प्रखंडों के 3229 पंचायतों में फसल क्षति एवं 17 जिले के 149 प्रखंडों के 2131 पंचायतों मे परती भूमि (Unsown Area) से क्षति प्रतिवेदित है। इन पंचायतों के वैसे किसान जिनकी फसल का नुकसान हुआ है, वे ऑन–लाईन आवेदन कर कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ ले सकते हैं।
- बाढ़/अतिवृष्टि एवं परती भूमि के कारण हुई क्षति के लिए निम्नांकित दर से कृषि इनपुट अनुदान देय होगा :–
  - वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर।
  - सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रूपये प्रति हेक्टेयर।
  - शाश्वत फसल (गन्ना सहित) के लिए 18,000 रूपये प्रति हेक्टेयर।
  - परती भूमि (Unsown Area) के लिए 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर।
- यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा, किसान को इस योजना के अंतर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनत्तम 1,000 रूपये अनुदान देय है।
- कृषि इनपुट अनुदान सभी पंजीकृत रैयत एवं गैर रैयत किसान को देय है। बाढ़/अतिवृष्टि एवं परती भूमि से हुई क्षति से प्रभावित सभी प्रतिवेदित जिले, प्रंखण्ड एवं पंचायत के रैयत एवं गैर – रैयत किसान भाई / बहन इस योजना का लाभ लेने हेतु ऑन – लाईन आवेदन कर सकते हैं।

कृषि विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर दिये गये लिंक DBT in Agriculture पर या https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर आवेदन करने के लिए 13 अंकों की पंजीकरण संख्या का उपयोग कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रखंडों एवं पंचायतों की सूची डी०बी०टी० पोर्टल पर उपलब्ध है।

3229 प्रतिवेदित पंचायतों वाले 265 प्रभावित प्रखंडों से संबंधित 30 जिलों की सूची

1. पटना	7. जहानाबाद	13. पश्चिमी चम्पारण	19. बेगूसराय	25. सहरसा
2. नालंदा	8. सारण	14. सीतामढ़ी	20. मुंगेर	26. सुपौल
3. भोजपुर	9. सीवान	15. वैशाली	21. शेखपुरा	27. मधेपुरा
4. बक्सर	10. गोपालगंज	16. दरभंगा	22. लखीसराय	28. पूर्णियाँ
5. भभुआ	11. मुजफ्फरपुर	17. मधुबनी	23. खगड़िया	29. अररिया
6. गया	12. पूर्वी चम्पारण	18. समस्तीपुर	24. भागलपुर	30. कटिहार

2131 प्रतिवेदित पंचायतों वाले 149 प्रभावित प्रखंडों से संबंधित 17 जिलों की सूची

1. नालंदा	8. सीतामढ़ी	15. सहरसा
2. बक्सर	9. वैशाली	16. अररिया
3. सारण	10. दरभंगा	17. कटिहार
4. गोपालगंज	11. मधुबनी	
5. मुजफ्फरपुर	12. समस्तीपुर	
6. पूर्वी चम्पारण	13. बेगूसराय	
7. पश्चिमी चम्पारण	14. खगड़िया	

आवेदन करने की तिथि
05.11.2021 से
20.11.2021 तक

नोट :- अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेन्टर के टॉल फ्री नं. 18001801551 पर या संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

PR No - 08385 (Agriculture)D. 2021-22